

D-87.

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती - पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO
(तलाशी/प्राप्त/प्रस्तुतीकरण धारा.102 के अन्तर्गत)

1. जिला :- रायपुर थाना :-आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो वर्ष 2015 प्र.सू.प.क्र./रोज. सान्हा/
प्रतिक्रिया नम्बर 09/15 दिनोंक 12.02.2015
2. विधान एवं धाराएँ 120 बी, 109 भादवि, 13 (1) डी, 13 (2) भ्रटाचार निवारण अधिनियम
3. जप्त/प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति :- उपह्त/लावारिस/अवैध अधिपत्य/संदिग्ध/अन्य (जो लागू हो
उस पर सही का चिन्ह लगायें)
4. सम्पत्ति कब जप्त/प्राप्त हुई :- (अ) दिनोंक 12.03.2015 (ब) समय 14.40 बजे
(स) स्थान का पता जहाँ सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आर्थिक अपराध अन्वेष ब्यूरो के कार्यालय विवेचक कक्ष
(द) स्थान का विवरण जहाँ सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आर्थिक अपराध अन्वेष ब्यूरो के कार्यालय विवेचक कक्ष
5. व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई :-
किससे जप्त किया- मोतीलाल साहू पिता मनबोध प्रसाद साहू उम्र 58 वर्ष, व्यवसाय नौकरी निवासी LIG-13
सेक्टर-2 डी.डी. नगर रायपुर, जिला प्रबंधक नान गरियाबंद (छ0ग0)

नाम गवाह-

(1) उपेन्द्र दत्त भार्गव, पिता का नाम मोतीराम भार्गव आयु 61 वर्ष, व्यवसाय नौकरी पता उपवनसंरक्षक,
अधीक्षक नंदनवन जंगल शाफारी वन मंडल रायपुर मो0नं0 9479069180

(2) सचर्च कुमार लाल पिता स्व. पुवर कुमार लाल आयु 49 वर्ष, व्यवसाय नौकरी पता वरिष्ठ तकनीकी
अधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर मो0नं0 7587011158

जप्तकर्ता अधिकारी- निरीक्षक संजय देवस्थले राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर छ0ग0

विवरण- मोतीलाल साहू के पेश करने पर 1 से 10 पन्ना जिसमें हाथ से लिखा एवं प्रिन्टेड पत्र जिसे मोतीलाल
साहू द्वारा 1 एवं 2 को अपने हाथ से आवेदन पत्र लिखा गया है। पेश पन्ने जिसमें कार्यालयीन पत्र में
जिला प्रबंधक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड गरियाबंद में हस्ताक्षर है। जिसमें
मोतीलाल साहू की स्वाभाविक लिपि है। इस लिपि में शब्द एवं अंक शामिल है।

उपरोक्त गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

साक्षीगण के हस्ताक्षर

1. 12/3/15
24.9F
2. 14/3
57.00

अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर 12.3.15
जिससे जप्त किया

नाम संजय देवस्थले
पद निरीक्षक

सत्यापित प्रति
(रा.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.देवस्थले / प.सी.
रायपुर